Nalanda College of Engineering, Chandi (Nalanda)
नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय, चण्डी (नालन्दा) बिहार–803108
Website:- www.ncechandi.ac.in E- mail:- nceprincipalchandi@gmail.com
(Science, Technology & Technical Education Department, Govt. of Bihar, Patna)

पत्रांकः NCE/CHANDI/NLD/………….. दिनांकः ………/………/2025

कार्यालय आदेश

दिनांकः 24.09.2025 को महाविद्यालय छात्रावास में छत से एक छात्रा के गिरने की घटना के उपरान्त छात्र एवं छात्राओं द्वारा महाविद्यालय परिसर (प्राचार्य कक्ष, प्राचार्य कार्यालय, छात्रावास कार्यालय व इलेक्ट्रिकल मशीन लैब, तीन कम्प्यूटर लैब, प्राचार्य आवास, एकेडमिक ब्लॉक क्षेत्र एवं परिसर में खड़ी कार) में तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना को रात्री में अंजाम दिया गया। इस घटना में रात्री के समय सरकारी सम्पत्ति को नुकसान किया गया। प्राचार्य द्वारा निर्गत स्थानीय पत्रांकः 981 दिनांकः 07.10.2025 के आलोक में महाविद्यालय के अनुशासन समिति के द्वारा उपलब्ध सी.सी.टी.भी. फुटेज के आधार पर सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त, अभी तक के जाँच के आधार पर विज्ञान, प्रावैद्यिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांकः 2634 दिनांकः 27.10.2011 के अनुपालन में अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित छात्र एवं छात्राओं के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है, जो इस प्रकार हैः

1. **श्रेणी I : निम्नलिखित छात्र एवं छात्राओं को छः माह के लिए महाविद्यालय से निलंबित किया जाता है।**

S. No.	Name of Student	Roll No.	Clause No.	Branch
1.	Neha Kumari	24EE09	3 (XXI, XXVII, XXXIV)	EEE
2.	Ankur Kumar	24EE19	3 (XIV, XXI, XXXIV)	EEE

2. **श्रेणी II : निम्नलिखित छात्र एवं छात्राओं को तीन माह के लिए महाविद्यालय से निलंबित किया जाता है।**

S. No.	Name of Student	Roll No.	Clause No.	Branch
1.	Raj Malhotra	24CV37	3 (XIV)	CE
2.	Ravishankar Kumar Paribrajak	24CS24	3 (XIV)	CSE
3.	Sudhanshu Kumar	24CV47	3 (XIV)	CE
4.	AJ Pratham	22CS64	3 (XXVII)	CSE
5.	Ansh Kumar	24CV61	3 (XIV)	CE

3. **श्रेणी III : निम्नलिखित छात्र एवं छात्राओं को ₹ 40,000 (चालीस हजार) का आर्थिक दंड दिया जाता है।**

S. No.	Name of Student	Roll No.	Clause No.	Branch
1.	Saksham Raj	24CV30	3 (XXVIII)	CE
2.	Utsav Kumar Singh	24EE51	3 (XXVIII)	EEE

4. **श्रेणी IV : निम्नलिखित छात्रा को ₹ 30,000 (तीस हजार) का आर्थिक दंड दिया जाता है।**

S. No.	Name of Student	Roll No.	Clause No.	Branch
1.	Aparajita Rajpal	24CV33	3 (XXXV)	CE

नोटः
1. उपरोक्त सभी श्रेणी के छात्र एवं छात्राओं को एक **Black Dot** दिया जाता है।
2. उपरोक्त सभी छात्र एवं छात्राओं को किसी भी वर्ष में सभी प्रकार की छात्रवृति की अनुशंसा से वंचित किया जाता है।
3. भविष्य में इन्हें महाविद्यालय के छात्रावास से वंचित किया जाता है।
4. श्रेणी I एवं श्रेणी II के छात्र एवं छात्राओं को उक्त अवधि में महाविद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित है। आदेश का उल्लंघन करने पर पुनः कठोर कार्रवाई की जाएगी।
5. उपरोक्त सभी आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रभावी समझा जाए, एवं संबंधित छात्र एवं छात्राएँ छात्रावास को दिनांकः 15.12.2025 तक खाली करना सुनिश्चित करें। उल्लंघन करने पर पुनः कठोर कार्रवाई की जाएगी।

चेतावनीः भविष्य में दोबारा किसी भी घटना में सम्मिलित पाये जाने पर महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरूद्ध दोषी छात्र एवं छात्राएँ, निदेशक, विज्ञान, प्रावैद्यिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के समक्ष अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विश्वासभाजन

ह०/–
प्राचार्य,
नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय,
चण्डी (नालन्दा)।

ज्ञापांकः NCE/CHANDI/NLD/1184 **दिनांकः** 12/12/**2025**

प्रतिलिपिः

1. सचिव, विज्ञान, प्रावैद्यिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त सचिव–सह–निदेशक, विज्ञान, प्रावैद्यिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, नालन्दा
4. पुलिस अधीक्षक, नालन्दा
5. अनुमण्डल पदाधिकारी, हिलसा
6. थाना प्रभारी, चण्डी
7. सभी संबंधित स्थानीय पदाधिकारी
8. मुख्य प्रतिपालक
9. सभी संबंधित छात्र एवं छात्राएँ
10. प्राचार्य कार्यालय
11. सभी नोटिस बोर्ड

12.12.25

प्राचार्य,
नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय,
चण्डी (नालन्दा)।

12/12/25